21.04.2022::—आज यह पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी महावीर जरिये अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार सिहाग द्वारा प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थना—पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का राजीनाम हो चुका है इस कारण प्रार्थना—पत्र आगे नही चलाना चाहते। प्रार्थी अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता श्री अश्वनी सिहाग द्वारा की गई। प्रार्थी उसके अधिवक्ता को प्रार्थना—पत्र सुना गया। अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.11.02 13:02:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner